



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 2018/कार्तिक 4, 1940

No. 4237]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2018/KARTIKA 4, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5442(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम अक्टूबर, 2018 की प्रथम तारीख से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में लागू होगा।

[फा. सं. आर-11011(12)/2/2018/पी-26418]

संदीप पौण्डरीक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2018

S.O. 5442(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 1 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares that the said Act shall apply to the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland and Sikkim with effect from the 1st day of October, 2018.

[F. No. R-11011(12)/2/2018/P-26418]

SANDEEP POUNDRIK, Jt. Secy.